परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सन से बज्यूण मोटर मार्ग (लम्बाई 15.300 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

जनपद रूद्रप्रयाग में विकासखण्ड अगस्तमुनी के 250 से अधिक जनसख्या वाली बसावट बज्यूण (CC00252000, H85, Pop. 389) बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में मोटर मार्ग से सयोजित किये जाने हेतु सचिव ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के कार्यलय ज्ञाप संख्या 1760/पी0 14/यू0आर0आर0डी0ए0/09/दिनांक 14–12–2009 उत्तराखंड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया हैं।

वर्श 2001 की जनगणना के अनुसार बसावट बज्यूण की आवादी 389 अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृशि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृशि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोशित् विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते है। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपल्ब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में 15.300 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में नाप भूमि 7.605 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि 6.165 है0, मलवा निस्तारण हेतु सिविल सोयम भूमि 0.929 है0 प्रभावित हो रही है जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0 2 को निरस्त कर समरेखण नं0 1 को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं0 1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एंव भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः 15.300 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9 मीटर चौड़ाई में आने वाली आरक्षित वन भूमि, वन पंचायत भूमि, सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि एवं मलवा निस्तारण हेतु कुल भूमि 7.094 है0 प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन समरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेशित किया जा रहा है।

कनिष्ट अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग